न्यायालय,समाहर्त्ता,अररिया

अधिहरण वाद संख्या-435/2020

अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार

बनाम

(1) अबु तालिब, पिता-मो0 सोयेब आलम
सा0-सुकसेना बलुआ, वार्ड नं0-08, थाना-पलासी,
(2) रामानंद बैठा, पिता-स्व0 बुधु बैठा,
सा0-बलुआ डियोढ़ी, थाना-पलासी,
जिला-अररिया
(3) शोएब आलम, पिता-तैयब
सा0-पोखर टोला, बलवा काकन,
थाना-पलासी, जिला-अररिया
(महिन्द्रा चार चक्का वाहन रजिस्ट्रेशन सं0-BR11H3404,
ईजन सं0-MHC4D39851,
चेसीस सं0-MA1TA2MHNC2D37947 का मालिक) ....विपक्षीगण

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
16.09.2020	इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 821/हि0शा0, दिनांक 19.04.2020) के आलोक में पलासी थाना कांड संख्या-51/2020, दिनांक-23.02.2020, धारा-30(क)/37(ग) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 में जब्त स्कॉर्पियों चार चक्का वाहन रजिस्ट्रेशन सं0-BR11H3404, ईजन सं0-MHC4D39851, चेसीस सं0-MA1TA2MHNC2D37947 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58 के अंतर्गत राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। विपक्षियों को जवाब दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गई। विपक्षी सं0-03 की ओर से दिनांक 21.07.2020 को पलासी थाना कांड संख्या-51/2020, दिनांक 23.02.2020 में जब्त स्कॉर्पियों चार चक्का वाहन रजिस्ट्रेशन सं0-BR11H3404, ईजन सं0-MHC4D39851, चेसीस सं0-MA1TA2MHNC2D37947 की सशर्त विमुक्ति हेतु कारण पृच्छा-सह-वाहन विमुक्ति हेतु आवेदन दाखिल किया गया। (2) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया श्री रामानंद मंडल एवं विपक्षी सं0-3 के विद्वान अधिवक्ता मो0 खुर्शीद रब्बानी को सुना। पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 821/हि0शा0, दिनांक 19.04.2020), विपक्षी सं0-03 का कारण-पृच्छा-सह-वाहन विमुक्ति आवेदन दिनांक 21.07.2020 तथा अभिलेख के साथ संलग्न अन्य कागजातों का अवलोकन किया। (3) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया का मुख्य कथन है कि पुलिस अवर निरीक्षक, पलासी थाना एवं अन्य द्वारा दिनांक-22.02.2020 को समय करीब 21.00 बजे डेहटी मरडभाग, वार्ड नं0-12 स्थित असगल आलम, पे0-ग्यासुद्दीन के पोखर में पलटा हुआ एक स्कॉपियों की तलाशी दो स्वतंत्र गवाहों-1. मो0 अफसर आलम, पिता-मो0 फखरुद्दीन, सा0-मालद्वार, एवं 2. मो0 इसरार आलम, पिता-गयासुद्दीन, सा0-डेहटी, वार्ड नं0-12, थाना-पलासी, जिला-अररिया के समक्ष ली गई। तलाशी के क्रम में उक्त स्कार्पियों के बीच वाले एवं पीछे वाले सीट से प्लारिटक का कुल-07 बोरा में से रेशम लीच नेपाली शराब कुल-580 बोतल, प्रति बोतल 300 मिली लीटर कुल मात्रा-174.00 लीटर बरामद किया गया। बरामद शराब एवं स्कॉर्पियों चार चक्का वाहन पंजीयन संख्या-BR11H3404, ईजन सं0-MHC4D39851, चेसीस सं0-MA1TA2MHNC2D37947 को विधिवत् जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया। विपक्षियों के विरूद्ध	

अधिहरण वाद संख्या-435/2020

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर गई कार्रवाई बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
16.09.2020	पलासी थाना कांड संख्या-51/2020, दिनांक-23.02.2020, धारा-30(क)/37(ग) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 दर्ज किया गया। विपक्षियों द्वारा जब्त वाहन का उपयोग अवैध शराब को ढ़ोने के लिए किया गया है। उनकी प्रार्थना है कि विपक्षी सं0-03 के कारण-पृच्छा दिनांक 21.07.2020 को अस्वीकृत किया जाय तथा जब्त स्कॉर्पियों चार चक्का वाहन रजिस्ट्रेशन सं0-BR11H3404, ईजन सं0-MHC4D39851, चेसीस सं0-MA1TA2MHNC2D -37947 को राजसात किया जाय। (4) विपक्षी सं0-03 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का मुख्य कथन है कि विपक्षी सं0-3 जब्त वाहन का वास्तविक मालिक है। जब्त वाहन व्यावसायिक कार्य हेतु खरीदा गया है। जब्त वाहन भाड़ा पर चलती है। वाहन से संबंधित आवश्यक कागजात विपक्षी सं0-3 के पास उपलब्ध है। विपक्षी सं0-3 ने जब्त वाहन की औपबंधिक विमुक्ति हेतु दिनांक-21.07.2020 को उपस्थित होकर कारण दाखिल किया है। जब्त वाहन का उपयोग अवैध शराब को ढ़ोने के लिए नहीं किया गया है। जब्त कथित शराब से विपक्षी सं0-03 को कोई संबंध सरोकार नहीं है। ग्रामीण विद्वेष के तहत पुलिस की मिली भगत से वाहन को अवैध तरीका से जब्त किया गया है। जब्त स्कार्पियों पलासी थाना परिसर में खुले आसमान के नीचे खड़ी है। स्कॉर्पियों खराब हो रही है। विपक्षी संख्या-3 निर्दोष है। विपक्षी सं0-3 पर्याप्त प्रतिभूति बंध-पत्र दाखिल करने को तैयार है। उनकी प्रार्थना है कि जब्त स्कॉर्पियों को सशर्त औपबंधिक विमुक्त करने का आदेश दिया जाय। (5) उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के कथनों एवं तर्कों पर सम्यक् विचार तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 821/हि0शा0, दिनांक 19.04.2020), की प्रति एवं संलग्न अन्य कागजातों के अवलोकन से इस न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि पलासी थाना कांड संख्या-51/2020, दिनांक 23.02.2020, धारा-30(क)/37(ग) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 में बरामद शराब एवं वाहन को पुलिस अवर निरीक्षक, पलासी थाना द्वारा विधिवत् जब्त किया गया। जब्त स्कॉर्पियों का उपयोग कुल-174.00 लीटर शराब को व्यावसायिक उद्देश्य से ढ़ोने में किया गया है। जब्त स्कॉर्पियों को विमुक्त किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। विपक्षी सं0-03 का कारण-पृच्छा-सह-आवेदन दिनांक-21.07.2020 मनगढ़ंत एवं गलत है तथा अस्वीकृत होने योग्य है। बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-56(ख) के अंतर्गत जब्त वाहन राजसात होने योग्य है। तदनुसार विपक्षी सं0-03 के कारण-पृच्छा-सह-आवेदन दिनांक-21.07.2020 को **अस्वीकृत** किया जाता है तथा पलासी थाना कांड संख्या-51/2020, दिनांक-23.02.2020, धारा-30(क)/37(ग) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 में जब्त स्कॉपियों चार चक्का वाहन रजिस्ट्रेशन सं0- BR11H3404, ईजन सं0-MHC4D39851, चेसीस सं0-MA1TA2MHN C2D 37947 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58(2) के अंतर्गत **राजसात(Confiscate)** किया जाता है। अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को निदेश दिया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित अधिनियम, 2018) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु उत्पाद मद्यनिषेध, अररिया तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया को प्रेषित करें।	

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश प गई कार्रव बारे में ि (तारीख स
16.09.2020	विपक्षी (वाहन मालिक) यदि चाहें तो उक्त आदेश के विरूद्ध बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–92(2) के अंतर्गत उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में पारित आदेश के 90 दिनों के भीतर अपील दाखिल कर सकते हैं। उक्त आदेश/निदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित 16/09 समाहर्त्ता, अररिया 16/09 समाहर्त्ता, अररिया ज्ञापांक 1916/विधि, अररिया, दिनांक 18.9.2020 प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। 16/09 समाहर्त्ता, अररिया	